

 सत्यमेव जयते	भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone जी. एस. टी. भवन, तेलंगखेड़ी मार्ग / G.S.T. Bhawan, Telangkhedi Road सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 / Civil Lines, Nagpur - 440001 Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in	
---	--	---

F. No. GCCO/II/(3)/173/2024-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-NAGPUR

Dated: [Date of Digital Signature]

स्थापना आदेश क्रमांक. 49/2024

ESTABLISHMENT ORDER NO. 49/2024

इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 35/2024 दिनांक 12.08.2024 की निरंतरता और आंशिक संशोधन में, **अधीक्षक** ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक जारी किये जाते हैं: -

In continuation and in partial modification of Establishment Order No. 35/2024 dated 12.08.2024 of this office, the following transfer and posting in the grade of **Superintendent** is hereby ordered with immediate effect and till further orders: -

Sl. No.	Name of the officers (Shri /Smt)	From	To
1	Kanchan V. Kamble	UOT, CGST Nagpur-I Outstation	CGST Nagpur-II (retention till AGT 2025)

- आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा की जाएगी। तैनाति करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील और गैर-संवेदनशील तैनाति के लिए रोटेशन की मौजूदा नीति का पालन किया जाए। अधिकारियों की तैनाति करते समय, नीति और पोस्टिंग के इतिहास के अनुसार उनके स्टेशन की प्राथमिकता पर विधिवत विचार किया जाए। क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बोर्ड के पत्र एफ. संख्या C-3013/79/2015-Ad.IVA (Vol.L.7) दिनांक 17.07.2018 के अनुसार किसी भी अधिकारी को संवेदनशील पद पर 3 वर्ष से अधिक न रखा जाए।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerate will be made by jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner. While doing the posting, it shall be ensured that the existing policy of rotation to sensitive and non-sensitive postings shall be adhered to. While posting the officers, their station preference as per policy & history of posting may be duly considered. The jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner shall ensure that no officer is kept beyond 3 years in sensitive post in terms of Board's letter F. No. C-3013/79/2015-Ad.IVA (Vol.L.7) dated 17.07.2018.

- पदस्थापना आदेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि ऊपर दिए गए किसी भी अधिकारी का नाम सतर्कता की दृष्टि से स्पष्ट नहीं है, तो उसे संवेदनशील प्रभार में तैनात न किया जाए।

While issuing posting orders, it shall be ensured that if any of the officers whose name has figured above is not clear from Vigilance angle, he / she should not be posted to a sensitive charge.

4. अधिकारी के उनके नए तैनाति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले, किसी भी तरह के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिकारी के उचित माध्यम से आए किसी भी अभ्यावेदन पर नई तैनाति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही विचार किया जाएगा।
No representation whatsoever shall be entertained before the officer join at her new place of posting. Any representation from the officer through proper channel will be entertained only after joining in new place of posting.
5. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।
This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(वेंकटेशम अनामला)
(Venkatesham Anamala)
अपर आयुक्त (सी सी ओ)
Additional Commissioner (CCO)

Copy to:

1. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सी.जी.एस.टी., नागपुर-I तथा नागपुर-II आयुक्तालय को, कृपया सूचना हेतु।
The Principal Commissioner / Commissioner, CGST Nagpur-I and Nagpur-II Commissionerate, for kind information please.
2. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी., नागपुर-I तथा नागपुर-II आयुक्तालय को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST Nagpur-I and Nagpur-II Commissionerate, for information and necessary action please.
3. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर को, कृपया सूचना हेतु।
The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nagpur, for information please.
4. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.cgstnagpur.gov.in से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।
The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website www.cgstnagpur.gov.in for his / her records and compliance.
5. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.
6. गार्ड फाइल।
Guard File.